



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102023-249543
CG-DL-E-18102023-249543

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 600]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 18, 2023/आश्विन 26, 1945

No. 600]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2023/ASVINA 26, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

प्रारूप अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2023

सा.का.नि. 754(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल पते: mscb.cpcb@nic.in और sonu.singh@gov.in पर भेज सकता है।

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ
 - (1) इन नियमों को पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2023 कहा जाएगा।
 - (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर लागू होंगे।
2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-1 में,
 - (i) क्रम संख्या 1 पर 'कास्टिक सोडा' से संबंधित प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

कास्टिक सोडा उद्योग

क्र.सं.	उद्योग	मापदंड	मानक		
	कास्टिक सोडा		सान्द्रता के लिए सीमित मान (पीएच (ph) और जैव परख को छोड़कर मि.ग्रा./ली. में)	भार आधारित (कि.ग्रा. प्रति टन)	
01		क: बहिस्त्राव मानक*			
		जैवपरख परीक्षण **	100% बहिस्त्राव में पहले 96 घंटों के बाद मछली के उत्तरजीविता की 90% संभावना		-
		पीएच (ph)	6.5-8.5		-
		क्लोराइड	250		0.25
		टीएसएस	100		0.1
		टीडीएस	2100		2.1
		ऑइल और ग्रीस	5		0.005
		अवशिष्ट मुक्त क्लोरीन	0.5		0.0005
		सल्फेट	200		0.2

* सामान्य बहिस्त्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपी) में निस्सरण कर रहे उद्योग पर लागू नहीं होगा और बागवानी या सिंचाई उद्देश्य के लिए शोधित अपशिष्ट जल के उपयोग सहित भूमि और सतही जल निकायों में किए जाने वाले सभी निस्सरण पर लागू होगा।

** जैव परख परीक्षण आईएस: 6582-1971 के अनुसार संचालित किया जाएगा।

ख : जल की खपत और अपशिष्ट जल उत्पादन संबंधी मानक

जल की खपत की अधिकतम मात्रा	5 मी. ³ प्रति टन कास्टिक सोडा उत्पादन
अपशिष्ट जल उत्सर्जन की अधिकतम मात्रा	1 मी. ³ प्रति टन कास्टिक सोडा उत्पादन

ग : अस्थायी उत्सर्जन संबंधी मानक

अवस्थान	मापदंड	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
सेल हाउस	क्लोरीन	7
	एचसीएल	10
एचसीएल टॉवर के पास	क्लोरीन	7
	एचसीएल	10

घ : प्रक्रिया उत्सर्जन संबंधी मानक

अवस्थान	मापदंड	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
हाइपो स्टैक	क्लोरीन	5
एचसीएल स्टैक	क्लोरीन	5
	एचसीएल	5

- (ii) 'क्लोराल्कली (कास्टिक सोडा)' से संबंधित क्रम संख्या 28 की तत्संबंधी प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा।

[फा. सं. क्यू -15017/3/2023-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

नोट : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में का.आ. 844 (अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें गत संशोधन सा.का.नि. 436(अ), तारीख 14 जून, 2023 के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

DRAFT NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2023

G.S.R. 754(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) the Central Government hereby makes the following draft rules, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public. Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address: mscb.cpcb@nic.in and sonu.singh@gov.in.

1. **Short title and commencement.**

(1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the expiry of a period of one year from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I,

(i) At serial number 1 entries relating to 'Caustic Soda shall be substituted, namely:-

Caustic Soda Industry

Sl. No.	Industry	Parameters	Standard	
	Caustic Soda		Limiting value for concentration (in mg/l except for pH and Bio assay)	Load Based (Kg per ton)
01	A: Effluent Standards*			
		Bioassay Test**	90% Survival of Fish after first 96 hours in 100% effluent	-
		pH	6.5-8.5	-
		Chloride	250	0.25
		TSS	100	0.1
		TDS	2100	2.1
		Oil & Grease	5	0.005
		Residual Free Chlorine	0.5	0.0005
	Sulphate	200	0.2	

* Not applicable to industry discharging to Common Effluent Treatment Plant (CETP), and shall be applicable to all discharge to land and surface water bodies including use of treated wastewater for horticulture or irrigation purpose.

** The Bio assay test shall be conducted as per IS: 6582-1971

B: Standard for water consumption & wastewater generation

Maximum Quantity of water consumption	5 m ³ per ton of caustic soda production
Maximum Quantity of wastewater generation	1 m ³ per ton of caustic soda production

C: Standards for fugitive emission

Location	Parameter	(µg/m ³)
Cell house	Chlorine	7
	HCl	10
Near HCl tower	Chlorine	7
	HCl	10

D: Standards for process emission

Location	Parameter	(mg/Nm ³)
Hypo stack	Chlorine	5
HCl stack	Chlorine	5
	HCl	5

(ii) Serial number 28 relating to 'chloralkali (caustic soda) entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. Q-15017/3/2023-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note: The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.O. 844 (E) dated the 19th November 1986 and last amended, *vide* notification number G.S.R. 436(E) dated the 14th June, 2023.